न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,गढ़मुक्तेश्वर, हापुड।
पीठासीन अधिकारी–श्रीमती पारूल कुमारी, उ.प्र.न्यायिक सेवा (उ०प्र० 3546)

UPHP120007372026

Warrant or Summons Criminal Case/335/2026

परिवाद संख्या–999/2026
चन्दन सिंह बनाम रविन्द्र तोमर उर्फ मोनू
अंतर्गत धारा–138 एन.आई. एक्ट
थाना–गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।

दिनांक–24.03.2026

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज आदेशार्थ नियत है।

परिवादी चन्दन सिंह की ओर से प्रस्तुत परिवाद पत्र विपक्षी रविन्द्र तोमर उर्फ मोनू के विरुद्ध धारा 138 एन.आई.एक्ट में तलब कर दण्डित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में कथन किया गया है कि विपक्षी से प्रार्थी / परिवादी की अच्छी मित्रता है प्रार्थी / परिवादी से विपक्षी की मित्रता होने के कारण विपक्षी का प्रार्थी / परिवादी के घर आना जाना है। माह अगस्त 2025 मे विपक्षी प्रार्थी / परिवादी की दुकान निकट गढ़ कचहरी पर आये और प्रार्थी / परिवादी से अपनी पारिवारिक जरुरत हेतू अंकन 70 हजार रुपये एक माह के लिए उधार देने का निवेदन किया। प्रार्थी / परिवादी ने विपक्षी से मित्रता व अच्छे सम्बन्ध होने के कारण विपक्षी पर विश्वास करके विपक्षी को अंकन 70,000/– रुपये नकद उधार स्वरुप दे दिये। विपक्षी ने प्रार्थी/परिवादी की रकम अंकन 70,000/– रूपये तय समय पर अदा करने का पूर्ण भरोसा दिलाया। तय समय बीत जाने के पश्चात प्रार्थी / परिवादी ने विपक्षी से अपनी रकम अंकन 70,000/– रूपये का तकादा किया तो विपक्षी प्रार्थी / परिवादी को आजकल–आजकल कहकर टरकाता रहा। दिनांक 01.12.2025 को प्रार्थी / परिवादी के सख्त तकादा करने पर विपक्षी ने प्रार्थी / परिवादी को एक चैक सं० '707962' अंकन 70,000/– रुपये खाता सं0–2041001500086605 पंजाब नैशनल बैंक शाखा भैना जिला हापुड़ दिनांकित 01.12.2025 का दिया और कहा कि आप उक्त चैक को दिनांक 03.12.2025 को अपने खाते में जमा कर भुगतान प्राप्त कर लें। प्रार्थी/परिवादी ने विपक्षी पर विश्वास करके विपक्षी के कथानानुसार उक्त चैक को दिनांक 03.12.2025 को अपने खाता सं0–712710510003583 बैंक ऑफ इंडिया शाखा गढ़मुक्तेश्वर में भुगतान की बाबत जमा किया परन्तु उक्त चैक दिनांक 03.12.2025 को बैंक द्वारा "Fund insufficient" की टिप्पणी के साथ चैक अनादृत कर रिटर्न मीमो सहित प्रार्थी / परिवादी को लौटा दिया गया। प्रार्थी / परिवादी ने इसकी जानकारी विपक्षी को दी तो विपक्षी के द्वारा प्रार्थी / परिवादी से कहा गया कि अभी मेरे खाते में पैसे नहीं है, आप उक्त चैक को फरवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में बैंक मे लगाकर अपना भुगतान प्राप्त कर लेना, आपको भुगतान हो जायेगा। प्रार्थी/परिवादी ने विपक्षी पर विश्वास करके विपक्षी के कथनानुसार उक्त चैक को दिनांक 07.02.2026 को पुनः अपने खाता सं0–712710510003583 बैंक ऑफ इंडिया शाखा गढ़मुक्तेश्वर में भुगतान की बाबत जमा किया परन्तु उक्त चैक दिनांक 07.02.2026 को पुनः बैंक द्वारा "Fund insufficient" की टिप्पणी के साथ चैक अनावृत कर रिटर्न मीमो सहित प्रार्थी / परिवादी को लौटा दिया गया। प्रार्थी / परिवादी द्वारा विपक्षी को चैक के अनादृत होने की बात कही एवं अपनी रकम 70,000/– रुपये की मांग की परन्तु विपक्षी द्वारा प्रार्थी / परिवादी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया तथा रुपये वापिस करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। विपक्षी को इसकी पूर्ण जानकारी थी कि विपक्षी के खाते में पैसे नहीं है, विपक्षी ने जानबूझकर प्रार्थी / परिवादी के

साथ छल, कपट एवं चालाकी करके बदनियती से प्रार्थी / परिवादी की रकम अंकन 70,000/– रुपये हड़प करने की नीयत से उक्त चैक जारी किया है। विपक्षी के कृत्य से प्रतीत होता है कि विपक्षी के मन में बदनियती आ गयी है तथा विपक्षी प्रार्थी / परिवादी की रकम अंकन 70,000/– रूपये लौटाना नही चाहते है। प्रार्थी / परिवादी ने अपने अधिवक्ता महोदय द्वारा विपक्षी / अभियुक्त को एक नोटिस दिनांक 11.02.2026 को बजरिये पंजीकृत डाक एवं व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित जो विपक्षी / अभियुक्त पर विधिवत् तामीला हो चुका है, तामीला होने के पश्चात् समय सीमा के अन्तर्गत रकम नहीं लौटायी है। विपक्षी / अभियुक्त द्वारा प्रार्थी / परिवादी के साथ छल कपट व चालाकी की है।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य में एक किता असल चैक संख्या 707962, अंकन 70,000/– रूपये दिनांकित 01.12.2025, दो किता असल रिटर्न मेमो, एक किता लीगल नोटिस मय असल रजिस्ट्री रसीद दिनांकित 11.02.2026 व ट्रैक रिकार्ड की प्रति दाखिल किये गये हैं।

तलबी के प्रश्न पर परिवादी चन्दन सिंह के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली के परिशीलन के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उपरोक्त मामले में विपक्षी रविन्द्र तोमर उर्फ मोनू द्वारा चेक संख्या 707962, अंकन 70,000/– रूपये दिनांकित 26.08.2025 परिवादी को दिया गया था। जो Fund insufficient की टिप्पणी करते हुए परिवादी को बिना भुगतान के ही वापिस कर दिया गया। परिवादी द्वारा विपक्षी को पैसे का भुगतान करने हेतु नोटिस दिया गया तथा दिनांक 13.02.2026 को प्रस्तुत परिवाद दर्ज कराया गया। नोटिस का उद्देश्य उस व्यक्ति को सूचित करना है जिसके द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो गया है। इससे यह स्पष्ट है कि परिवादिनी द्वारा अं०धारा 138 एन.आई.एक्ट के सभी प्रावधानों का पालन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से अभियुक्त रविन्द्र तोमर उर्फ मोनू के विरूद्ध अं०धारा–138 एन.आई.एक्ट में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त एवं संतोषजनक आधार प्रतीत होता है

आदेश

1. अतः अभियुक्त **रविन्द्र तोमर उर्फ मोनू पुत्र पुत्र सत्यपाल सिंह, निवासी ग्राम अल्लीपुर कटीरा, थाना बहादुरगढ़, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश** को अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत दिनांक– 08.04.2026 के द्वारा सम्मन तलब किया जाता है।
2. परिवादी आवश्यक पैरवी अंदर सप्ताह करे तथा गवाहों की सूची पत्रावली पर दाखिल करें।
3. उपरोक्त आदेश पैरवी व गवाहों की सूची दाखिल करने के उपरान्त प्रभावी होगा।

(पारूल कुमारी)
सिविल जज (जू0 डि0)/जे.एम.,
गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।

Digitally signed by PARUL KUMARI
Date: 2026.04.08 13:05:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court